



प्रेस विज्ञप्ति

12.03.2026

आरबीआई ने मेट्रोकोर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में फेमा उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग आदेश जारी किया :

आरबीआई ने मेट्रोकोर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में फेमा उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग आदेश जारी किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मेट्रोकोर्प इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को एक कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में कंपनी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश आरबीआई द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से “अनापत्ति प्रमाण-पत्र” प्राप्त होने के पश्चात पारित किया गया है।

इस मामले में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर ईडी द्वारा फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जांच की गई। जांच पूर्ण होने के पश्चात ईडी ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष फेमा की धारा 16 के अंतर्गत शिकायत दर्ज की, जिसमें आरबीआई द्वारा निम्नलिखित उल्लंघनों के लिए कंपाउंडिंग की गई है: —

1. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची-1 के पैरा 9(1)(ए) के अंतर्गत विदेशी आवक भुगतान की विलंबित रिपोर्टिंग, जिसमें ₹110,62,08,604.51 सम्मिलित है।
2. फेमा 20/2000-आरबी के पैरा 9(1)(बी) के अंतर्गत शेयर जारी करने के पश्चात फॉर्म एफसी-जीपीआर की विलंबित फाइलिंग, जिसमें ₹110,62,08,604.51 सम्मिलित है।

फेमा के प्रावधानों के अनुसार न्यायनिर्णयन कार्यवाही न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.01.2023 को फेमा की धारा 16 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रारंभ की गई थी, जो कंपनी तथा उसके निदेशकों/अधिकारियों को संबोधित था, जो उल्लंघन की प्रासंगिक अवधि के दौरान कंपनी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी एवं उसके लिए उत्तरदायी थे।

कंपनी द्वारा तत्पश्चात अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उक्त उल्लंघनों के कंपाउंडिंग हेतु फेमा के अंतर्गत आरबीआई के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। आरबीआई के संदर्भ पर ईडी ने अधिनियम की मूल भावना के अनुरूप ऐसे कंपाउंडिंग पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की। तदनुसार, ईडी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरबीआई ने दिनांक 10.02.2026 के कंपाउंडिंग आदेश के माध्यम से ₹1,03,320/- के एकमुश्त भुगतान पर उक्त उल्लंघनों का कंपाउंडिंग किया। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत उपर्युक्त उल्लंघनों के संबंध में न्यायनिर्णयन कार्यवाही की समाप्ति के साथ-साथ आगे की मुकदमेबाजी भी समाप्त हो गई है।